COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

215

CA 20

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर

निगरानी-6846/2018 सागर भू.रा.

अतुल तिवारी तनय स्व० रविकिशोर तिवारी उम्र 46 वर्ष,
निवासी- वार्ड क्र. 5 शीतलामंदिर के पास, तह० बीना
जिला सागर म.प्र. ...आवेदक

॥ विरुद्ध ॥

B.O.R. 14 SEP 2018

जयप्रकाश तनय लक्ष्मीप्रसाद पुरोहित
साकिन कानूनगो वार्ड, मारुति मंदिर के पास,
इटावा बीना तह०बीना जिला सागर म.प्र. ... अनावेदक

श्री वीरेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता सागर द्वारा प्रस्तुत

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त आवेदक राजस्व निरीक्षक बीना तह० बीना जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र. 183/12 वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 16-04-2018 से परिवेदित होकर निम्न प्रमुख कानूनी तथ्यों के आधार पर रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

1- यहकि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यहकि, अनावेदक ने ग्राम इटावा प.ह.नं. 51 तह0 बीना जिला सागर भूमि ख.नं. 288/2 रकबा 0.021हे0 भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक बीना से दिनांक 14.05.2018 को कराया था तथा दिनांक 16-04-2018 को आदेश पारितकिया, जबकि उक्त सीमांकन के समय आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया नाही सम्बंधित कोटवार द्वारा कोई जानकारी दी गई और स्थल पंचनामा मे भी आवेदक को सूचना देने के सम्बंध मे कोई टीप अंकित नही है तथा आवेदक की बगैर जानकारी के सीमांकन कर आवेदक का 15x30 वर्गफुट पर निर्माणाधीन मकान पाया गया जो कि स्थल पंचनामा मे बताया

179 25/10/18

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–6346/2018/सागर/भू.रा.

अतुल तिवारी विरूद्ध जयप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बीनए तहसील बीना, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 18/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–04–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 08/3/19	